

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरु)

पीठासीन अधिकारी— श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 10/2022

आदेश दिनांक— 21.09.2022

1. दीपक पुत्र श्री शिवशंकर जाति शर्मा निवासी चेताखेड़ी, कस्बा छपर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान

.....वादी

बनाम

1. कमल कंवर पुत्री सुगनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
2. कैलाशसिंह पुत्र फेफसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
3. नानुकंवर पत्नी सुगनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
4. पृथ्वीसिंह पुत्र फेफसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
5. पुसी कंवर पुत्री सुगनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
6. मदनसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
7. मूलसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
8. विमला कंवर पुत्री विजयसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
9. छगन कंवर पत्नी सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
10. मनोज कंवर पुत्र सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
11. केशर कंवर पुत्री सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
12. बलवीरसिंह पुत्री सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
13. लक्ष्मणसिंह पुत्र सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
14. रघुवीरसिंह पुत्र सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
15. मंजु कंवर पुत्री सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
16. पूनम कंवर पुत्री सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
17. बसन्ती कंवर पुत्री सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

18. राजू कंवर पुत्री सागरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
.....प्रतिवादीगण
20. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु
21. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
.....गौण प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

1. उपस्थित वादी व वादी वकील श्री बुद्धिप्रकाश प्रजापत एड., श्री सुनील पंवार एड.
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 व गौण प्रतिवादी संख्या 20 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. गौण प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से श्री दिनेश कुमार एड.

निर्णय

इस दावा का न्यायालय में विचारण किया जाकर दिनांक 05.05.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया था कि वादी रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा संख्या 214 तादादी 8.4974 एवं खसरा संख्या 215 तादादी 5.0959 हैक्टेयर , खसरा संख्या 733 तादादी 0.5058 हैक्टेयर व खसरा संख्या 756 तादादी 1.8461 हैक्टेयर कुल तादादी 15.9452 हैक्टेयर कृषि भूमि का अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया गया कि वादगत भूमि में मौके पर जाकर वादी के कब्जा काश्त व मौके की स्थिति देखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करें।

जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया। जिस पर आपति चाही गई वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति न होना जाहिर किया एवं अपनी बहस में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील वादी ने सहमति जाहिर की है। इसलिए न्यायालय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

अतः दावा वादी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है –

| क्र. स. | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा (है. में) | किस्म | लगान |
|---------|--|---------------|--------------------|---------|------------|
| 01. | दीपक पुत्र शिवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी चेताखेड़ी कस्बा छापर खातेदार (वादी) | 214 मि. | 3.1890 | बा. अवल | 7.55 |
| 02. | मदनसिंह सागरसिंह मूलसिंह पि. सुगनसिंह हि 15947/127562 हि.ब. नानूकंवर पत्नी सुगनसिंह हि. 5315/127562 कमलकंवर पुसीकंवर पुत्रियां सुगनसिंह हि 10630/127562 विमला कंवर पुत्री विजयसिंह हिस्सा 31890/127562 राहिन ब.रा. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुरा मूर्तहीन कैलाशसिंह पुत्र फेफसिंह हिस्सा 31890/127562 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास मूर्तहीन पृथ्वीसिंह पुत्र फेफसिंह हिस्सा 31890/127562 राहिन ब. रा.क्षे. ग्रा. बैंक शाखा गोपालपुरा मूर्तहीन जाति रावणा राजपूत नि. गोपालपुरा खातेदार (प्रतिवादीगण) | 214 मिन | 5.3084 | बा. अवल | 12.58 |
| | | 215 | 5.0959 | बा. अवल | 12.08 |
| | | 733 | 0.5058 | बा. अवल | 1.19 |
| | | 756 | 1.8461 | बा. अवल | 4.40 |
| | | कुल कित्ता— 4 | कुल रकबा — 12.7562 | बा. अवल | कुल— 30.25 |
| | | | | | |

तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द लूणियां)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
व इजलास श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस

दीपक बनाम कमल कंवर आदि

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरस्ती एवं संयुक्त खातेदारी विभाजन
मुकदमा न0 10 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु
हाजरी श्री सुनिल पंवार एड. मिनजानिब मुद्दई वमिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है -

| क्र. स. | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा (है. में) | किस्म | लगान |
|---------|---|--|---|---|---|
| 01. | दीपक पुत्र शिवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी चेताखेड़ी कस्बा छापर खातेदार (वादी) | 214 मि. | 3.1890 | बा. अव्वल | 7.55 |
| 02. | मदनसिंह सागरसिंह मूलसिंह पि. सुगनसिंह हि 15947/127562 हि.ब. नानूकंवर पत्नी सुगनसिंह हि. 5315/127562 कमलकंवर पुसीकंवर पुत्रियां सुगनसिंह हि 10630/127562 विमला कंवर पुत्री विजयसिंह हिस्सा 31890/127562 राहिन ब.रा. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुरा मूर्तहीन कैलाशसिंह पुत्र फेफसिंह हिस्सा 31890/127562 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास मूर्तहीन पृथ्वीसिंह पुत्र फेफसिंह हिस्सा 31890/127562 राहिन ब.रा.क्ष. ग्रा. बैंक शाखा गोपालपुरा मूर्तहीन जाति रावणा राजपूत नि. गोपालपुरा खातेदार (प्रतिवादीगण) | 214 मिन 215 733 756 कुल किता- 4 | 5.3084 5.0959 0.5058 1.8461 कुल रकबा - 12.7562 | बा. अव्वल बा. अव्वल बा. अव्वल बा. अव्वल बा. अव्वल | 12.58 12.08 1.19 4.40 कुल- 30.25 |

तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

चीज मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 09. 2022

दस्तखत

मुहर

ओहदा

| मुद्दई | रुपया | पै. | मुद्दायलाई | रुपया | पै. |
|--|-------|-----|---|-------|-----|
| स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक | | | स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज कर